न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2022-131 (GCMS 2022-347)

1. सीताराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट
2. श्रीमती भगवती पुत्री मांगीलाल पत्नी धर्मेन्द्र जाट
   दोनों निवासीगण ग्राम बारनी खुर्द,
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. जीवणराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट
   निवासी बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ
   जिला जोधपुर
2. भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ दिनांक 18 जुलाई 2022 राजस्व वाद संख्या 19/2020 अनवान जीवणराम बनाम सीताराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

1. श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
2. श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 31 अगस्त, 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2020 अनवान जीवणराम बनाम सीताराम इत्यादि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 18 जुलाई 2022 के खिलाफ यह अपील राजस्थान

31-8-2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 8 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने ग्राम रामपुरा तहसील भोपालगढ की सीमा में स्थित आराजी खसरा संख्या 263/1 रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा बारानी अव्वल भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद पेश किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22 जून 2020 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण (अपीलाण्ट्स तथा रेस्पो. संख्या दो) को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा बाद आवश्यक कार्यवाही उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 19 जुलाई 2022 स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी की गयी। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को जबाब पेश कर विरोध किया। जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकियात भी कायम की गयी। किन्तु प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य न तो प्रदर्श की गयी और न ही तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष पारित किये गये। कोई भी दस्तावेज प्रदर्श किये बिना साक्ष्य में ग्राह्य नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी आधारहीन एवं निर्धारित विधिक प्रकिया को नजरअंदाज करते हुए पारित किये जाने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष

31-8-2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादी-रेस्पो. की ओर से समुचित साक्ष्य सबूत पेश कर अपने वाद को साबित किया गया है। वादी-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत गवाहान से प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा जिरह भी की गयी, इसी प्रकार प्रतिवादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान से वादी-पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है। इन परिस्थितियों में साक्ष्य प्रदर्श नहीं किये जाने की औपचारिकता के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी को अपास्त नहीं किया जाना चाहिये। दावे एवं जबाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा समुचित तनकियात भी कायम की गयी है। उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत भी विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा धारित मतानुसार प्रकरण रिमाण्ड किये जाने की बजाय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष अंकित करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिये। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि स्वयं प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से उनके अभिकथनों की पुष्टि नहीं होती है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलोच्य मामले में दावे एवं जबाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी-

1. यह कि ग्राम रामपुरा तहसील भोपालगढ में स्थित भूमि खसरा संख्या 263/1 रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा का वादी अपनी खातेदारी भूमि के हक-हिस्से तक बंटवाडा हेतु डिकी जारी करवाने का अधिकारी है? ... जिम्मे वादी .

31-07-2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. यह कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपने हक-हिस्से तक विरुद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है? ..... जिम्मे वादी
3. यह कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के एकल स्वामित्व की व कब्जा काश्त की है तथा वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से वादी बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं है? .... जिम्मे प्रतिवादी
4. यह कि वादी का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद खारिज किये जाने योग्य है? .... जिम्मे प्रतिवादी
5. अनुतोष?

तत्पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। यद्यपि विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रदर्श नहीं कराया गया है, किन्तु दोनो पक्षों द्वारा मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथपत्रों पर गवाहान से जिरह की गयी है। जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले में निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना करते हुए ही कार्यवाही की गयी है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य प्रदर्श नहीं किये जाने जैसे तकनीकी एवं औपचारिक मुद्दे के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपास्त किये जाने योग्य नहीं माना जा सकता है। जहॉ तक मामले में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अदालत हाजा अधिवक्ता-रेस्पो. के इस कथन से सहमत है कि समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा धारित मतानुसार ऐसे प्रकरणों को रिमाण्ड किये जाने की बजाय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष अंकित करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिये। अतः अदालत हाजा के स्तर पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

31-8-2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तनकीवार मामले में विवेचन करने के संदर्भ में पत्रावली उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि अपने वाद की ताईद में वादी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से विचारण न्यायालय में नकल जमाबंदी (खतौनी) ग्राम रामपुरा संवत 2060-2063 तथा खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम रामपुरा संवत 2072-2075 प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी (खतौनी) ग्राम रामपुरा संवत 2060-2063 के कॉलम संख्या 4 में रामनिवास पुत्र नैनाराम, मांगीलाल पुत्र नैनाराम, सीताराम पुत्र मांगीलाल व जीवणराम पुत्र मांगीलाल के नाम बतौर सहखातेदारान दर्ज है। इसी प्रकार नकल खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 (प्रविष्टियों सहित खातेदार गैर खातेदार का नाम) में भगवती पुत्री मांगीलाल पत्नी धर्मेन्द्र, सीताराम पि. मांगीलाल, जीवणराम पि. घमण्डाराम जाति जाट सा. बारनी खुर्द खातेदार दर्ज है। मौखिक साक्ष्य में गवाहान जीवणराम पुत्र घमण्डाराम (वादी-रेस्पो. संख्या एक स्वयं), ओमप्रकाश चौधरी पुत्र जीवणराम जाट, केवलराम पुत्र रुघाराम जाति बावरी, भंवरलाल पुत्र घमण्डाराम जाति जाट के शपथपत्र पेश किये गये जिनमें इन गवाहान ने वादग्रस्त आराजी में से वादी-रेस्पों. संख्या एक द्वारा भूमि कय की जाकर अपने हिस्से अनुसार अन्य सहखातेदारान के साथ मौके पर काबिज होना वर्णित किया है। जिरह में भी इनके द्वारा मौके पर वादी-रेस्पो. संख्या एक का अपने हिस्से अनुसार अन्य सहखातेदारान के साथ कब्जा काश्त होना बताया है।

प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स की ओर से गवाहान रामरख पुत्र मांगीलाल जाट, भगवती पुत्री मांगीलाल पत्नी धर्मेन्द्र जाति जाट, सीताराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट, धर्मेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाट के शपथपत्र पेश किये जिनमें इन गवाहान द्वारा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या एक व दो की खरीदसुदा होना जाहिर किया, मगर जिरह के दौरान इन गवाहान ने

31.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी के इन प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के अलावा अन्य सहखातेदार होना स्वीकार किया है।

इस प्रकार दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि बाबत वादी-रेस्पो. संख्या एक सहखातेदार होना भलीभांति साबित हो जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत प्रत्येक सहखातेदार को संयुक्त खातेदारी की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवा कर अपने हिस्से के अनुसार भूमि पृथक करवाने का अधिकार उपलब्ध है। अतः तनकी संख्या एक (यह कि ग्राम रामपुरा तहसील भोपालगढ में स्थित भूमि खसरा संख्या 263/1 रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा का वादी अपनी खातेदारी भूमि के हक-हिस्से तक बंटवाडा हेतु डिक्री जारी करवाने का अधिकारी है?) का निस्तारण वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या दो (यह कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपने हक-हिस्से तक विरुद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है?) का निस्तारण वादी-रेस्पो के हक में किया जाता है।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक व दो के अलावा अन्य सहखातेदार होना भलीभांति साबित है अर्थात तनकी संख्या तीन (यह कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के एकल स्वामित्व की व कब्जा काश्त की है तथा वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से वादी बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं है?) को साबित करने में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स असफल रहने से इस तनकी संख्या तीन का निष्कर्ष अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण के खिलाफ किया जाता है।

31.8.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तनकी संख्या चार (यह कि वादी का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद खारिज किये जाने योग्य है?) का निस्तारण भी अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण के खिलाफ किया जाता है क्योंकि इस तनकी को साबित करने हेतु अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण की ओर से कोई ठोस एवं विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तनकीवार पारित निष्कर्षो के आधार पर अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाते है जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नजर नहीं आता है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.0.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर